



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 160 राँची, गुरुवार, 5 चैत्र, 1948 (श०)
26 मार्च, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प
5 जुलाई, 2024

संख्या : 01/स्था० (विविध)—103/2021 (वि०) 1630 / वि०--

विषय : वित्त विभाग अन्तर्गत नव गठित तीन (03) निदेशालयों पेंशन एवं लेखा निदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेक्षण निदेशालय के निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित करने के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2049 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा वित्त विभाग को पुनर्गठित करते हुए तीन (03) निदेशालयों पेंशन एवं लेखा निदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है।

उक्त तीनों निदेशालयों के निदेशकों को विभागाध्यक्ष घोषित करने की आवश्यकता है; ताकि निदेशालय के निदेशक के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जा सके।

2. एतदर्थ निम्नवत् प्रस्ताव गठित किया गया :-

"पेंशन एवं लेखानिदेशालय, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय तथा अंकेक्षण निदेशालय के निदेशकों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 21 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है। तदनुसार निदेशकों को झारखण्ड सेवा संहिता, झारखण्ड वित्त नियमावली एवं झारखण्ड सरकार के अन्य नियमों एवं संहिताओं में प्रदत्त विभिन्न शक्तियों (प्रशासनिक एवं वित्तीय आदि) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है।"

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के द्वारा वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-757/वि०, दिनांक 15.03.2024 के क्रम में दिनांक 19.06.2024 की बैठक के मद संख्या-15 के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

(प्रशान्त कुमार),
सचिव।
